न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सामनाथ,आई.ए.एस

मुकदमा नम्बर 46/2023 राजस्व वाद दायर दिनांक 14.09.2023

उनवान

1– श्री शांतादेवी पत्नी सुरेन्द्र बोरदिया (महाजन) निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

--- वादी

बनाम

1– श्री भैरूलाल पिता खमाण माली निवासी संतोष माता मंदिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा।

2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा --- प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थितः–

श्री भैरूलाल बापना अधिवक्ता–वादी

प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही

:: निर्णय ::

दिनांक 12.04.2024

संक्षिप्त में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादी के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि ग्राम पुर प0ह0 पुर, तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसके आराजी न0 3663 1 बीघा 1 बिस्वा, 3664 1 बीघा 6 बिस्वा, 3665 01 बीघा 02 बिस्वा, 3672, 05 बीघा 05 बिस्वा, 3673/1, 03 बीघा 13 बिस्वा, 3673/2, 07 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा (4.9189) हेक्टेयर, माह अप्रैल 2022 में वादीया एव वादीया के पति श्री सुरेन्द्र बोरदिया आवश्यक कार्य से बाहर चले गये थे जिनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर प्रतिवादी सं0 01 ने आराजी नं0 3665 के कुछ हिस्से पर नाजायज कबजा कर लिया। इस हालत की जानकारी होने पर प्रार्थीया द्वारा आराजियात किता 06 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा (4.9189 हेक्टेयर) की पत्थरगढी कराने हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा के यहाँ पत्थरगढी का आवेदन प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 541/2022 आदेश दिनांक 20.05.2022 को पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना में मौके पर दिनांक 04.05.2023 को मौके पर पत्थरगढी की गई। जिसमें खसरा नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा पाया गया एवं उक्त कब्जे को लेने से पूर्व वादी को सक्षम न्यायालय से कब्जा लेने की हिदायत दी गई। प्रतिवादी संख्या 01 ने वादीया की खसरा नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर में जो नाजायज कब्जा कर रखा है वह कब्जा हटाया जाकर इस भूमि पर वादीया का पुनः आधिपत्य कराया जावे और प्रतिवादी संख्या 01 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वह भविष्य में वादीया के अधिकार आधिपत्य की इस आराजी के किसी भी भाग पर वादीया को बेदखल न करे व इस भूमि पर कोई अतिक्रमण न करें न ही इस भूमि पर कोई निर्माण कार्य करे।

वादीया की आराजी नं0 3665 रकबा रकबा 0.2782 हेक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 कब्जा पुनः प्राप्त करने का अधिकारी है। कब्जेयाबी की डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 पारित फरमायी जावे।

वादी का वाद पत्र पंजीबद्ध किया जाकर जरिये सम्मन प्रतिवादी संख्या 01 को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 अनुपस्थित रहने से दिनांक 15.03.2024 को एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

Ahad

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वादी ने अपनी साक्ष्य में श्रीमति शांता देवी पत्नि सुरेन्द्र बोरदिया (महाजन) निवासी पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा का शपथ पत्र दिनांक 12.04.2024 को पेश किया जो पीडब्ल्यू 01 है, इस शपथ पत्र का मुख्य परीक्षण करवाया गया, जिसमें ग्राम पुर में 19 बीघा 09 बिस्वा भूमि अपने नाम पर होने की जमाबंदी की सम्वत 2069–2073 जमाबंदी 2077 (वर्ष 2021) से स्थायी की प्रतिलिपि पेश की है जो प्रदर्श 01 है एवं इस आराजियात की पत्थरगढी कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका प्रकरण संख्या 241/2022 निर्णय दिनांक 20.5.2022 है जिसके निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 2 है। वादग्रस्त आराजियात के राजस्व नक्शा ट्रेस की प्रति पेश की जो प्रदर्श 3 है, पत्थरगढी आदेश के निर्णय की पालना में गिरदावर हल्का पुर व पटवारी हल्का पुर द्वारा बनाया गया मौका पर्चा की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 4 है, मौके पर पत्थरगढी करने का भू–अभिलेख निरीक्षक पुर द्वारा जारी सूचना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श 5 है, पत्थरगढी पालना रिपोर्ट भू–अभिलेख निरीक्षक पुर द्वारा तहसीलदार भीलवाडा को प्रस्तुत की गई जिसकी प्रमाणित प्रति पेश की जो प्रदर्श–6 है,तहसीलदार भीलवाडा द्वारा पत्थरगढी प्रकरण संख्या 241/2022 के निर्णय की पालना का पत्र कमांक 1216 दिनांक 07.06.2023 जो न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा को प्रस्तुत किया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रदर्श–7 है।

वकील वादी की बहस सुनी गई बहस के दौरान वकील वादी ने वादपत्र में वर्णित बिन्दुओ को दौहराते हुए निवेदन किया कि वादी के स्वामित्व एवं खातेदारी अधिकारो की कृषि भूमि ग्राम पुर, प0ह0 पुर भू0अ0नि0 क्षैत्र पुर तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित है। जिसके आराजी न0 3663 1 बीघा 1 बिस्वा, 3664 1 बीघा 6 बिस्वा, 3665 01 बीघा 02 बिस्वा, 3672, 05 बीघा 05 बिस्वा, 3673/1, 03 बीघा 13 बिस्वा, 3673/2, 07 बीघा 02 बिस्वा कुल किता 06 रकबा 19 बीघा 09 बिस्वा (4.9189) हेक्टेयर, भूमि स्थित है। पत्थरगढी मौका पर्चा अनुसार खसरा नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी कोने पर लगभग 02 बिस्वा (0.0252 हेक्टेयर) भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का कब्जा पाया गया । वादी की आराजी संख्या 3665 के दक्षिणी पूर्वी कोने पर लगभग 02 बिस्वा 0.0252 हेक्टेयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 का अनाधिकृत कब्जा होने से प्रतिवादी संख्या 01 को बेदखल कर कब्जा पुनः वादीया को सिपुर्द किये जाने की प्रार्थना की है।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन् किया। वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 आरटीए एक्ट का प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध प्रस्तुत किया है।

:: **राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955** की **धारा 183** इस प्रकार है ::

183 कतिपय अतिकमीयो की बेदखली :–

(1) इस अधिनियम के किसी उपबंध में कोई विपरित बात अन्तर्विष्ट होते हुए भी कोई अतिकमी जिसने किसी भूमि को कब्जे में बिना वैध अधिकार के ले लिया है या रखा है(उस व्यक्ति या उक्त व्यक्तियो के वाद पर जो उसे आसामी के रूप में " बेदखली" करने के हकदार है) उपधारा 2 उपबंधो के अधिन रहते हुए बेदखली का भागी होगा और साथ ही प्रत्येक कृषि वर्ष जिसमें उसने पूरे वर्ष या वर्ष के कुछ भाग में इस प्रकार कब्जा रखा हो, के लिए शास्ति के तौर पर ऐसी रकम देना का भी भागी होगा जो वार्षिक लगान के 15 गुना तक हो सकती है।

(2) ऐसी भूमि जो सीधे राज्य सरकार से लेकर धारण की हुई हो या जिस पर राज्य सरकार तहसीलदार की मार्फत अतिकमी को आसामी के रूप में स्वीकार करने की हकदार है तहसीलदार राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956(राजस्थान एक्ट 15 सन् 1956) की धारा 91 उपबंधो के अनुसरण में कार्यवाही करने को अग्रसर होगा।

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का भली भांती परीक्षण किया गया। वादी के वादपत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेज पत्थरगढी पर्चा मौका दिनांक 04.05.202023 के अनुसार ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी भाग मे लगभग 02 बिस्वा (0.0252 हेक्टेयर) भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 श्री भैरूलाल पिता खमाण माली निवासी संतोषी माता मंदिर के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा का अनाधिकृत कब्जा सिद्व होने से वादी वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादी 01 के स्वीकार योग्य ठहरता है। अतएवं

:: आदेश ::

वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर पटवार हल्का पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी भाग मे लगभग 02 बिस्वा (0.0252 हेक्टेयर) भूमि पर प्रतिवादी श्री भैरूलाल पिता खमाण माली निवासी संतोषी माता मंदिर के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाडा का अनाधिकृत कब्जा पाया जाने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 अतिकमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे। तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार डिकी जारी हो।

सहायक कलक्टर
भीलवाडा

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस.

1– श्रीमति शांता देवी पत्नी सुरेन्द्र बोरदिया(महाजन) निवासी पुर तहसील व जिला भीलवाडा।

–– वादीया

बनाम

1– श्री भैरूलाल पिता खमाण माली निवासी संतोषी माता मंदिर के पास, पुर तहसील व जिला भीलवाडा।
2– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।

–––प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 46/2023 राजस्व वाद

वादीया की ओर से अधिवक्ता भैरूलाल बापना उपस्थित व प्रतिवादी में– इस वाद में आज तारीख 12.04.2024 को पीठासीन अधिकारी आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ, आई.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाडा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है।

वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 183–188 आरटीए का स्वीकार किया जाकर डिक्री बहक वादीया विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 01 के इस आशय की जारी की जाती है कि ग्राम पुर प0ह0 पुर भू0अ0नि0 पुर तहसील व ज़िला भीलवाडा में स्थित आराजी नम्बर 3665 रकबा 0.2782 हेक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी भाग में लगभग 02 बिस्वा(0.0252 हेक्टेयर) भूमि पर प्रतिवादी श्री भैरूलाल पिता खमाण माली निवासी संतोषी माता मन्दिर के पास पुर तहसील व जिला भ्झीलवाडा का अनाधिकृत कब्जा पाया जाने से अनाधिकृत कब्जे को हटाये जाने हेतु तहसीलदार भीलवाडा को अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार भीलवाडा प्रतिवादी संख्या 01 अतिकमी को राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल करे, तथा प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादीया के कब्जेकाश्त में दखल अन्दाजी न तो स्वंय करे ना ही किसी अन्य से करावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

आज दिनांक 12.04.2024 मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

(आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ)
सहायक कलक्टर
भीलवाडा